आदेश

अधीन धारा 3 ऑफ पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918

जैसा कि विदित है कोविड–19 कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा एक माह (30 जून, 2020 तक) के लिए Phased Re-opening (Unlock 1) के दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिसके दृष्टिगत Containment zone में किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों जैसे कि चिकित्सा सेवाऐं तथा अति आवश्यक सेवा इत्यादि को छोडकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है तथा किसी भी व्यक्ति को रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है (आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त), क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इस कार्यालय के आदेश पृ0 कमांक 678/एम0बी0 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा जिला नूहं के सभी गांव/शहरों में तुरन्त प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाया जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसको अब दिनांक 30.06.2020 तक बढाया जाना अति आवश्यक है।

अतः वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए मैं, पंकज, भा0प्र0से0, जिलाधीश, नूहं, पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नूहं जिला के सभी गांवो व शहरों में दिनांक 30.06.2020 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित करता हूं।

इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/तहसीलदार/उप–तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की होगी। सभी थाना प्रबनधक भी इस मामले में सम्बन्धित नगर पालिकाओं/ग्राम पंचायतो से सम्पर्क बनाये रखेंगें।

इन आदेशों का प्रचार जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहं/तहसीलदार/उप तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/स्थानीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा करवाया जायेगा।

इस आदेश की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

आदेश आज दिनांक 01.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर सहित जारी किया गया।

जिलाधीश, नूहं।

पृ0 क्रमांक – 695 /एम0बी0 दिनांक :- 01-06-2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, एवं वितायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
5. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
6. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।
7. महानिरीक्षक पुलिस, दक्षिणी मण्डल, रेवाडी।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूहं।
9. पुलिस अधीक्षक, नूहं।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, नूहं।
11. उप मण्डल अधिकारी (ना0), नूहं/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना/तावडू।
12. जिला राजस्व अधिकारी, नूहं।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकार, नूहं को भेजकर लिखा जाता है कि उक्त मामले में सभी सम्बन्धित से रिपोर्ट प्राप्त करके प्रतिदिन संकलित रिपोर्ट सरकार की सेवा में E-mail covid19.sdma@gmail.com के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें।
14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नूहं।
15. जिला सूचना अधिकारी, नूहं (NIC) को भेज कर लिखा जाता है कि उक्त आदेश जिला प्रशासन, नूहं की वैबसाईट पर अपलोड करवायें।
16. जिला नूहं के समस्त तहसीलदार/उप तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
17. सचिव, नगरपालिका, नूहं/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना/तावडू।
18. जिला नूहं के समस्त थाना प्रबन्धक (माध्यम कार्यालय पुलिस अधीक्षक, नूहं)

जिलाधीश, नूहं।

Scanned with CamScanner